न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 07/2019

1. श्री अब्दुल सत्तार पुत्र श्री नजीर मोहम्मद उर्फ श्री नजर मोहम्मद
2. श्री मजीद खान पुत्र श्री नजीर मोहम्मद उर्फ श्री नजर मोहम्मद
3. श्री ईदु खान पुत्र श्री नजीर मोहम्मद उर्फ श्री नजर मोहम्मद
4. श्री उस्मान खान पुत्र श्री नजीर मोहम्मद उर्फ श्री नजर मोहम्मद

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री अकबर खान पुत्र श्री शकूर खान (मृतक) जरिये वारिसान –
   1/1 श्री सदरूद्दीन उर्फ फोनू पुत्र श्री अकबर खान
   1/2 सुश्री शकीला बानो पुत्री श्री अकबर खान
2. श्री उस्मान खान पुत्र श्री शकूर खान (मृतक) जरिये वारिसान –
   2/1 श्री गुलशेर पुत्र श्री उस्मान
   2/2 श्री सुल्तान पुत्र श्री उस्मान
   2/3 सुश्री अफसाना पुत्री श्री उस्मान
   2/4 सुश्री रूकसाना पुत्री श्री उस्मान

   समस्त जाति मुसलमान देशवाली, निवासी खोखरा जमादारों की मस्जिद के पास, ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
4. श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खान पुत्र श्री शकूर खान (जरिये आदेश 1 नियम 10 सीपीसी) पक्षकार मुर्तिब (मृतक) जरिये वारिसान –
   4/1 श्रीमती वहीदन पत्नी श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खान
   4/2 श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खान
   4/3 श्री सरातल उर्फ नब्बू पुत्र श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खान
   4/4 सुश्री शकीला पुत्री श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खान
   4/5 सुश्री मड्डी पुत्री श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खान
   4/6 सुश्री अफरोज पुत्री श्री अब्दुल खान उर्फ जब्बार खा

   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 08.07.1984 क्रम सं 20

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

उपस्थित :–

1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत वकील प्रार्थी सं 1 से 4 की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक – 17.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रार्थनापत्र, विशेष राजस्व अभियान के अर्न्तत कैम्प ग्राम रामसर में दिनांक 08.07.1984 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन/आवंटन/छोटी पट्टी के प्रकरणो में की गयी कार्यवाही (आवंटन आदेश) (सूंची का क्रम संख्या 20) के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 08.07.1984 को ग्राम रामसर में विशेष राजस्व अभियान के अन्तर्गत आयोजित कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री अकबर खान, श्री उस्मान खान एवं श्री अब्दुल खान समस्त पुत्रगण श्री शकूर खान जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम रामसर की आराजी चौसाला खसरा नम्बर 5000 वर्किंग खसरा नम्बर 5760 रकबा 03–16–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा आवटियों के पक्ष में किये गये आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 3 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयीं। वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्धान वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के पिता/पति के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय नियम व रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज श्री नजीर मोहम्मद पुत्र श्री सुलेमान खान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण को आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार थे। विवादित आराजी चौसाला जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 के कॉलम सं 5 में प्रार्थीगण के पिता श्री नजर मोहम्मद पुत्र श्री सुलेमान मोहम्मद के नाम खातेदारी रही है। प्रार्थीगण के पिता के नाम खसरा गिरदावरी संवत 2015–2018 में काश्त अंकित थी। संवत 2021–2022 दिनांक 17.10.1965 खरीफ फसल ज्वार 06 बीघा पर काश्त एवं खसरा गिरदावरी संवत 2028 अन्तिम चौसाला जमाबन्दी में नजीर मोहम्मद द्वारा ज्वार की काश्त किये जाने का अंकन है। गिरदावरी संवत 2033 में साबिक खसरा नम्बर 4999 व 5000 रकबा 03–16–00 बीघा पर काश्त व उनका अतिक्रमण सिद्ध है। संवत 2034 व 2035 खसरा परिवर्तनशील से भी विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा साबित होता है। साथ ही खसरा परिवर्तनशील अस्थायी कृषि संवत 2036 वर्ष 1979 व खसरा परिवर्तनशील संवत 2037 वर्ष 1980 में भी उस्तान पुत्र नजीर मोहम्मद का कब्जा काश्त जाहिर होता है तथा दिनांक 10.10.1979 को अतिक्रमण की रिपोर्ट से जुर्माना जमा कराया गया जिससे भी विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण को आवंटन से पूर्व प्रार्थीगण का कब्जा साबित होता है, किन्तु अप्रार्थीगण व उनके भाई का कोई भी कब्जा काश्त दस्तावेज से प्रमाणित नही होता है। पटवारी हल्का रामसर का मौका पर्चा दिनांक 05.04.2018 से भी सिद्ध होता है कि साबिक खसरा संख्या 5000 रकबा 03–15–00 बीघा हाल खसरा संख्या 7805/10440 पर प्रार्थीगण/पिता का ही आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

बावजूद अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ व मिलीभगत कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर झूठे तथ्यों व झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत आवंटन कराया है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान R.R.D 1990 पेज 642 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत जाकर तथा मौके की वास्तविक भौतिक रिपोर्ट के बिना केवल मात्र कयास व टेबल पर ही सम्पूर्ण आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की गई जो दूषित होने से खारिज योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री शकूर खान पुत्र श्री भूरे खान द्वारा आराजी खसरा संख्या 5697 रकबा 07–15–00 बीघा एवं खसरा संख्या 5736 रकबा 09–02–00 बीघा का विक्रय किया जाकर कब्जा क्रेताओं को दिया जाकर कब्जा उसी दिनांक को छोड़ दिया गया। चौसाला जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 में लाल स्याही का नोट 861 दिनांक 25.08.1968 खसरा संख्या 5005 रकबा 06 बीघा, खसरा संख्या 5190 रकबा 02–02–00 बीघा कुल 08–02–00 बीघा भूमि आवंटन से पूर्व ही अप्रार्थीगण के पिता श्री शकूर खान पुत्र श्री भूरे खान के पास थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता के पास पूर्व में भूमि होते हुए भी भूमि का विवरण आवंटन अधिकारी से छिपाते हुए तथ्यों को तोड़मरोड़ कर व सही तथ्यों को छिपाकर विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने के बावजूद राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने पुत्रों के नाम आवंटन करवा लिया। आवंटन उपरान्त कभी भी आवंटी को विधिक रूप से कब्जा नहीं संभलवाया गया एवं ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान R.B.J 2011 पेज 694 एवं R.B.J 2000 पेज 457 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। आवंटन सलाहकार समिति व राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के पिता नजीर मोहम्मद को हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया नहीं जाकर एकपक्षीय, सरसरी व मनमाने तौर पर तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर आक्षेपीय आवंटन कर दिया गया, जबकि तहसीलदार पटवारी व कर्मचारियों को बखूबी प्रार्थीगण के पिता व कब्जे की जानकारी थीं।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 5760 पर मौके पर कब्जा काश्त नजीर मोहम्मद पुत्र सुलेमान का था व आवंटन के समय भूमि रिक्त नहीं थी तथा अप्रार्थीगण का भूमि पर कभी भी भौतिक रूप से कब्जा नहीं रहा। वरवक्त आवंटन प्रश्नगत आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण के पिता व वर्तमान में प्रार्थीगण का है। न तो तहसीलदार द्वारा कब्जा प्रमाणपत्र दिया गया न ही वरवक्त आवंटन, अप्रार्थीगण द्वारा पुराने कब्जे बाबत सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटियों ने पूर्व में धारित भूमि, खसरा नम्बर सम्बन्धी सूचना या या शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया जबकि पूर्व में शकूर के नाम संवत 2022 से 2025 की जमाबन्दी चौसाला खसरा संख्या 5005 व 5190 कुल 08–02–00 बीघा भूमि व खसरा संख्या 672, 676, 1118, 1115, 2397, 1057, 1096, 1116, 1117 व 1119 की भूमि अप्रार्थीगण/उनके पिता के पास आवंटन के लिए उपलब्ध थीं। जमाबन्दी संवत 2069–2072 के खसरा संख्या 1986, 1587, 1880, 2181 च 1795 की आराजी भी अप्रार्थीगण के खाते में उपलब्ध थी। उक्त आराजीयात की जानकारी आवंटन अधिकारी को न देकर असत्य कथन कर व तथ्य छिपाकर आवंटन नियमों की अवहेलना की गयी है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान R.B.J 2013 पेज 621 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 5000 में अप्रार्थीगण या उनके पिता वरवक्त आवंटन कितनी आराजी में कब्जाकाश्त में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

थे, ऐसा कोई दस्तावेज आवंटन पत्रावली पर नहीं है। शकूर खान पुत्र भूरे खान किस खसरा नम्बर पर काबिज है एवं किस वर्ष में कितनी आराजी पर आवंटी का कब्जा है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। आवंटन पत्रावली पर तहसीलदार रिपोर्ट में वर्णित रकबा 20–15–00 बीघा भूमि विवादित खसरा संख्या 5760 पर शकूर खान व आवंटियों का कभी भी कब्जा नहीं था एंवं ना ही उनका आराजी पर कब्जा काश्त सिद्ध है। आवंटी स्वयं को सद्भाविक कृषक सिद्ध नहीं कर पाये। उक्त आवंटन में तहसीलदार रिपोर्ट में विवरण नहीं भरा है, खाली है। गिरदावर रिपोर्ट की जगह हस्ताक्षर नहीं होकर रिक्त स्थान है व कब्जा भूमि का कॉलम खाली है। आवंटन आदेश में दिनांक स्थान अंकित नही है तथा आवंटन किस नियम के तहत किया गया है, अंकित नहीं है एवं आवंटन आदेश पर किसी भी अधिकारी की सील नहीं लगायी गयी है। उक्त आवंटन में नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गयी एवं आवंटी द्वारा भी आवंटन नियमों की शर्तों की कोई पालना नहीं की गयी। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1984 निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के पिता/पति के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जाँच पश्चात पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विशेष राजस्व अभियान में विधिक रूप से विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उन्होने कथन किया कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो तथ्यों को छिपाकर छल कपटपूर्वक करवाया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी हो। रिकॉर्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल कपटपूर्वक करवाया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामसर में विशेष राजस्व अभियान के तहत आयोजित शिविर दिनांक 08.07.1984 में आवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर अप्रार्थीगण के पिता श्री शकूर खान को ग्राम रामसर तहसील अजमेर वर्तमान में तहसील नसीराबाद स्थित आराजी, चौसाला खसरा नम्बर 5000 वर्किंग खसरा नम्बर 5760 रकबा 03–16–00 बीघा किस्म बा–2 भूमि का आवंटन किया गया था। इस आराजियात का इन्द्राज गत चौसाला जमाबन्दी में सिवायचक होने के कारण नियमन काश्तकार के रूप में आवंटन किया गया। नामा. सं 1241 दिनांक 08.07.1984 के द्वारा अप्रार्थीगण अकबर खान, उस्मान खान व अब्दुल खान समस्त पुत्रगण शकूर को ग्राम रामसर के वर्किंग खसरा नम्बर 5760 रकबा 03–16–00 किस्म बा–2 भूमि के गैर खातेदारी अधिकार तथा नामा. सं 564 दिनांक 18.07.1992 से खातेदारी अधिकार दिये गये। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 5000 रकबा 100 बीघा में से वर्किंग खसरा नम्बर 5760 रकबा 03–16–00 पर प्रार्थीगण के खातेदारी काश्तकार सम्बन्धी दस्तावेज नहीं है। चौसाला खसरा नम्बर 5000 में नजीर पुत्र सुलेमान द्वारा संवत 2018 में अतिक्रमी के रूप में 06 बीघा पर चना, संवत 2021 में ज्वार, संवत 2022 में ज्वार की काश्त की गयी है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2026 म खसरा नम्बर 4999 व 5000 पर उस्मान पुत्र नजीर के द्वारा मूंग, चंवला की काश्त की गयी है, जो कब्जा परिवर्तन होने से अतिक्रमी के लगातार कब्जे को नहीं दर्शाता। प्रार्थीगण द्वारा अन्तिम चौसाला जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्तिम चौसाला जमाबन्दी में प्रार्थीगण/उनके पिता खातेदार है तो दिनांक 10.10.1979 को उनके विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की गयी है, इसे प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है। चौसाला खसरा नम्बर 5000 का कुल रकबा 100 बीघा है तथा इसमे से प्रार्थीगण का 03–16–00 बीघा भूमि पर कब्जा कहाँ है तथा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

अन्य किन किन व्यक्तियों के कब्जे रहे है, इसे भी प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही वर्किंग खसरा नम्बर 5760 पर प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 की कोई रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी की मौका पर्चा दिनांक 05.04.2018 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 5000 के वर्किंग खसरा नम्बर 5760 रकबा 03–18–00 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 7805/10440 रकबा 0.61है0, संवत 2069–72 की जमाबन्दी में खाता सं 8 अकबर खान, उस्मान खान, अब्दुल जब्बार पुत्रगण शकूरखान के नाम खातेदारी दर्ज है तथा मौके पर ईदु खान, उस्मान खान, अब्दुल सत्तार खान, अब्दुल मजीद पुत्रगण नजीर मोहम्मद का कब्जा है।

अतः विशेष राजस्व अभियान, कैम्प रामसर तहसील अजमेर (वर्तमान में तहसील नसीराबाद) में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण अकबर खान, उस्मान खान, अब्दुल खान, समस्त पुत्रगण शकूर खान के पक्ष में किया गया आवंटन उचित पाये जाने व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के कारण **प्रार्थीगण श्री अब्दुल खान व अन्य द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थनापत्र (अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970) को निरस्त किया जाता है।**

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर